21253

भारतीय मानक ब्यूरो
(जयपुर शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भः जेपीबीओ/लीगल/प्रकरण सं. 328/17 194 15.05.2017

विधि विभाग से लेख है कि भारतीय मानक ब्यूरो बनाम मैं0 शिवा इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 100, झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान के विरूद्व कोर्ट केस का फैसला दिनांक 26.04.2017 को सुनाया गया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 11/33 अधिनियम के तहत रू. 15000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कोर्ट का विवरण निम्न प्रकार से हैः

मैं0 शिवा इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 100, झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर,
प्रकरण सं. 328/17 अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33
भा.मा.ब्यूरो अधिनियम 1986
निर्णय दिनांक 26.04.2017

फैसले की छायाप्रति रिकार्ड हेतु प्रेषित है। अतः इस केस को समाप्त माना जाए।

(एस.के.कन्नौजिया)
वैज्ञानिक–ई एवं प्रर्वतन अधिकारी

संलग्न : उपरोक्तानुसार

वैज्ञानिक–एफ एवं प्रमुख जशाका
प्रमुख उपभोक्ता मामले विभाग
मुख्यालय, नई दिल्ली

प्रतिलिपिः 1. **उपमहानिदेशक (मध्य)**
मुख्यालय, नई दिल्ली

1. **प्रमुख (आईटीएस), मुख्यालय, नई दिल्ली** – **For hosting on BIS website as per mail dated 260516 of CAD**

न्यायालय–मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर।

राज्य बनाम मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर आकाश बैद वगै0

परिवाद संख्या – 328 / 17

अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986

(2)

आदेशिका

दिनांक– 26.04.2017

परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर आकाश बैद / श्रीमती संगीता बैद, आकाश बैद एवं श्रीमती संगीता बैद मय अधिवक्ता श्री प्रकाश शर्मा उपस्थित।

अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप स्वीकार कर क्षमा चाही तथा पृथक से लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर साक्ष्य परिवादी बंद की गई।

अतः उपरोक्त अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त अभियुक्तगण मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर आकाश बैद / श्रीमती संगीता बैद, आकाश बैद एवं श्रीमती संगीता बैद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषी करार दिया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकट किया गया कि आयन्दा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें। अतः नरमी का रूख अपनाया जावे। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध किया।

उभय पक्षों के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

S Baid
पश्चातवर्ती
(प्रकाशशर्मा)
एड.

अतः अभियुक्तगण 01. मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर आकाश बैद / श्रीमती संगीता बैद 02.आकाश बैद 03. श्रीमती संगीता बैद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषसिद्ध किया जाकर प्रत्येक अभियुक्त पर 5000 / –रूपये कुल 15000 / –रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
जजेज, सीजेएम/एसीजेएम कोर्ट्स
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर

अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त एक–एक माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

आदेशानुसार अभियुक्तगण की ओर से कुल 15000/– रूपये अर्थदण्ड के जमा कराए गए जो रसीद संख्या.. ....0000063 / 90534 दिनांक 26.04.17 जमा हुए।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर, जयपुर।

प्रतिलिपि शाखा (जजेज, सीजेएम/एसीजेएम कोर्ट्स)
सत्यमेव जयते
जिला एवं सेशन न्यायालय

प्रति-हस्ताक्षरित